

२४ ^०/_{२५}

पत्रावली पेश हुई। प्राची व वकील प्राची उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थिति रहने के कारण प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल दावा अक्स पैरवी अदम हानरी में खारिज हो चुका है जिससे यह प्रार्थना-पत्र भी अख भागे चलने योग्य नहीं है।

अतः यह प्रार्थना-पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार की जावे तथा तरीख तकमिल की जाकर कारिखल स्फार की जावे।

Wajid